न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 92/2020

प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक : 19/11/2020

निर्णय दिनांक : 02/03/2021

1. शिवकरण पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी बम्बोरियां की ढाणी तन कडवां का बास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
2. दाखा देवी पत्नि रामलाल जाति जाट निवासी बम्बोरियां की ढाणी तन कडवां का बास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
3. बिरदी देवी पत्नि रामकुंवार जाति जाट निवासी बम्बोरियां की ढाणी तन कडवां का बास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
4. प्रेम देवी पुत्री रामलाल पत्नि रामसहाय जाति जाट निवासी बम्बोरिया की ढाणी हाल निवासी छीतरोली तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।
5. जितेन्द्र सिंह पुत्र रामकुंवार जाति जाट निवासी बम्बोरियां की ढाणी तन कडवां का बास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
6. सुमित्रा पुत्री रामकुंवार पत्नि भोलाराम जाति जाट निवासी बम्बोरियां की ढाणी हाल निवासी बंशीपुरा तहसील रेनवाल जिला जयपुर राज0।
7. शांति पुत्री रामकुंवार पत्नि बाबूलाल निवासी बम्बोरियां की ढाणी हाल निवासी डयोढीकोडी तहसील रेनवाल जिला जयपुर राज0।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. ईश्वरलाल पुत्र श्री हरिनारायण उर्फ हीरा जाति जाट निवासी बम्बोरियां की ढाणी तन कडवा का बास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
2. जीवणराम पुत्र हरिनारायण उर्फ हीरा जाति जाट निवासी बम्बोरियां की ढाणी तन कडवां का बास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
3. किशनलाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी बम्बोरियां की ढाणी तन कडवां का बास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
4. महादेव पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी बम्बोरियां की ढाणी तन कडवां का बास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

5. महेन्द्र पुत्र बंशी जाति जाट निवासी बम्बोरियां की ढाणी तन कडवां का बास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
6. बदाम पुत्री बंशी पत्नि ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बंबोरिया की ढाणी हाल निवासी बुकनी जिला जयपुर राज0।
7. रामा देवी पत्नि बंशी जाति जाट निवासी बम्बोरियां की ढाणी तन कडवां का बास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
8. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
9. सबरजिस्ट्रार महोदय कार्यालय मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति — श्री मुकेश चौधरी (बाना)
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री मोहित कुमार सैन
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2

तथा अप्रार्थी संख्या 8 व 9 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 02/03/2021

— निर्णय —

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना—पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 5 के आराजी खसरा नम्बर 188 रकबा 0.2900 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.2900 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम कडवों का बास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जिसके साबिक खसरा नम्बर 2762 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा रहे है जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 7 का 1/2 हिस्सा है इसी अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 काबिज काश्त चले आ रहे है। सिजरे अनुसार पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा विवादित आराजीयात पक्षकारान की पैतृक सम्पति हैं। उपरोक्त विवादित आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 2762 रकबा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

01 बीघा 03 बिस्वा पर सम्वत 2011 के पूर्व से ही भूरा पुत्र गोपाल काबिज काश्त था जो प्रार्थीगण एव अप्रार्थी संख्या 3 ल. 7 के पूर्वज थे, मौके पर काबिज काश्त थे चूंकि मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 ल. 7 के पूर्वज भूरा पुत्र गोपाल काबिज काश्त थे, इसलिये वरवक्त सम्वत 2011 में उक्त आराजीयात का पर्चा सही रूप से भूरा वल्द गोपाल के नाम से जारी किया गया हैं। जो नकल पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 से भलींभांति साबित हैं। जब तक भूरा वल्द गोपाल जीवित रहे मौके पर काबिज काश्त रहे। उनके स्वर्गवास होने के पश्चात उक्त आराजीयात का नामांतकरण रामकरण पुत्र भूरा के नाम से खुल गया जब तक रामकरण पुत्र भूरा जीवित रहा तब उक्त आरजीयात पर रामकरण पुत्र भूरा, प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 7 के दादा काबिज काश्त रहे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का व इनके पूर्वजों का विवादित आराजीयात से कभी कोई सम्बन्ध व सरोकार व कब्जा काश्त नही रहा। जब तक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 7 के पूर्वज जीवित रहे वो काबिज काश्त रहे उनके मरने के पश्चात अब प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 उक्त आराजीयात पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है, लेकिन भूरा वल्द गोपाल की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजीयात का नामांतकरण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 के फोर फादर रामकरण पुत्र भूरा के नाम से खोला गया जब तक वह जीवितम रहे उक्त आराजीयात पर काश्त करते रहे परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने राजस्व कारकुनानों से साज कर उक्त आराजीयात को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वजों ने अपने नाम से लगा ली जो आज तक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम चली आ रही है जबकि उक्त आराजीयात से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कोई सम्बंध एवं सरोकार नही है। उक्त आराजीयात पर पहले प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 7 के पूर्वज शान्तिपूर्वक काबिज काश्त रहे हे तथा वर्तमान में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 7 उक्त आराजीयात पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है इसलिये प्रार्थीगण पुनः खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत गिदावरीयों से भी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 ल. 7 का कब्जा काश्त होना प्रमाणित होता हैं। दिनांक 20/10/2020 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को आराजीयात नाम लगवाने बाबत कहा तो अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने आराजीयात नाम लगवाने से इन्कार कर दिया एवं उक्त आराजीयात से प्रार्थीगण को बेदखल कर उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त करने तथा दीगर व्यक्तियों को बैचान कर तुम्हें

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बूंदी

कब्जे से बेदखल करेंगे तो प्रार्थीगण ने उक्त आराजीयात की प्रमाणित नकलें प्राप्त कर उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा किया जाना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि "अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि प्रार्थना–पत्र के वर्णित मद नम्बर 2 में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 7 की आराजी में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी उत्पन्न न स्वंय करें न अन्य से करावें तथा न कब्जे काश्त से बेदखल करें तथा न ही उक्त आराजीयात को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल विक्रय आदि करें तथा राजस्व रिकार्ड एंव मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। इस हेतु तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावे।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। दिनांक 10/02/2021 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहित सैन व मुकेश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया व जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 बावजूद तामिल माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने बहस करना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहस मूल प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति विक्रय–पत्र दिनांक 13/09/1976, फोटो प्रति खसरा गिरदावरी, मिसल बन्दोबस्त, फोटो प्रति नामान्तरकरण, जमाबन्दी आदि का गहनता से अवलोकन किया गया।

उपरोक्त अवलोकन से प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का विवेचन निम्न प्रकार से है :–

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) कूदू

<u>प्रथम दृष्ट्या केस</u> – जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 खाता संख्या 5 जो प्रार्थीगण द्वारा पेश की गयी है, उसके अनुसार विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिस बाबत प्रार्थीगण ने दावा व प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर विवादित आराजी प्रार्थीगण की होने एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वजों द्वारा अपने नाम गलत रूप से लगाना अंकित करते हुये अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने का निवेदन किया गया है, वही दुसरी ओर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब पेश कर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये प्रार्थना–पत्र खारिज करने का निवेदन किया हैं। अवलोकन से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं अन्य दस्तावेजात से यह साबित है कि जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 5 के अनुसार विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज रिकार्ड है इस प्रकार वर्तमान परिस्थिति में विवादित आराजी के अप्रार्थी संख्या 1 व 2 रिकार्डेड खातेदार काश्कार है इसलिये कानूनन रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता हैं, इसलिये प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में बनना पाया जाता हैं।

<u>सुविधा का सन्तुलन</u> – जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात के अप्रार्थी संख्या 1 व 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं, प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजीयात अपनी बतायी जा रही है, चूंकि विवादित आराजीयात में प्रार्थीगण का किस प्रकार किस प्रकार से हक व हिस्सा बनता है? प्रार्थीगण के हक हकूकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर हो पायेगा तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जो विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इसलिये यदि इस स्टेज पर यदि अप्रार्थीगण सख्या 1 व 2 को पाबन्द किया गया तो अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को अपूर्तनीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में बनना पाया जाता हैं।

<u>अपूर्तनीय क्षति</u> – चूंकि प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का सन्तुलन उक्त दोनों बिन्दू अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में बनना पाये जाते है, ऐसी स्थिति में अपूर्तनीय क्षति भी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में बनना पायी जाती हैं।

इस प्रकार तीनों बिन्दूओं के अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि इसलिये **प्रथमतः** तो एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से कानूनन पाबन्द नही किया जा सकता हैं **द्वितीयतः** विवादित आराजीयात में प्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बूंदी

का किसी प्रकार से हक व हिस्सा बनता है तो प्रार्थीगण के हक हकूकों का मूल वाद के निस्तारण पर स्वतः ही निर्धारण हो पायेगा।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में पाया जाता हैं चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है ऐसी स्थिति में यदि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को किसी प्रकार से पाबन्द किया जाता है तो उसे अपूर्तनीय क्षति कारित होगी, इस प्रकार प्रथम प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में प्रबल है, जिसको अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने बखूबी साबित किया हैं। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित समझता हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 188 रकबा 0.2900 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.2900 हैक्टेयर वाके ग्राम कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद के बाबत खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निणय आज दिनांक 02/03/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
दूदू (जयपुर)